Regd. No. CHD/0093/2009-2011

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, MONDAY, MARCH 7, 2011
(PHALGUNA 16, 1932 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 7th March, 2011

No. 10—HLA of 2011/17.—The Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill, 2011, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 10—HLA of 2011

THE PUNJAB EXCISE (HARYANA AMENDMENT) BILL, 2011

A

BILL

further to amend the Punjab Excise Act, 1914, in its application to the State of Haryana.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Punjab Excise (Haryana Amendment) Act, 2011. Short title.

2. For section 68 of the Punjab Excise Act, 1914, the following section shall be substituted, namely :— Amendment of section 68 of Punjab Act 1 of 1914.

"68. Penalty for offences not otherwise provided for.—Whoever

is guilty of any act or intentional omission in contravention of any of the provisions of this Act, or of any rule, notification or order made, issued or given thereunder, and not otherwise provided for in this Act, shall be punishable for the first offence with a fine of fifty thousand rupees and for every such subsequent offence with fine which may extend to one lac rupees.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The proposal to amend the section 68 of the Punjab Excise Act, 1914 would help in preventing the residuary offences in the cases detected under section 68 of the Act. This would further enable to achieve the objectives of curbing and controlling the residuary offences in the State.

KIRAN CHOUDHRY,
Excise and Taxation Minister, Haryana.

Chandigarh :
The 7th March, 2011

SUMIT KUMAR,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2011 का विधेयक संख्या 10-एच० एल० ए०

पंजाब आबकारी (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2011

**पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914,
को हरियाणा राज्यार्थ आगे
संशोधित करने के लिए
विधेयक**

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम पंजाब आबकारी (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2011, कहा जा सकता है।

1914 के पंजाब अधिनियम 1 की धारा 68 का संशोधन।

2. पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 की धारा 68 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"68. ऐसे अपराधों के लिए शास्ति जिनके लिए अन्यथा उपबन्ध नहीं किया गया है.—जो कोई भी इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम, जारी की गई किसी अधिसूचना अथवा दिए गए किसी आदेश के उल्लंघन में किसी कार्य का या साशय लोप का दोषी है और जिसके लिए इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्ध नहीं किया गया है, प्रथम अपराध के लिए पच्चास हजार रुपये के जुर्माने से तथा प्रत्येक ऐसे पश्चात्वर्ती अपराध के लिए जुर्माना जो एक लाख रुपये तक हो सकता है, से दण्डनीय होगा।"।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 की धारा 68 में संशोधन करने का प्रस्ताव है कि अधिनियम की धारा 68 के तहत पकड़े गये केसों में अवशिष्ट अपराधों को रोकने में सहायता मिलेगी। यह आगे राज्य में अवशिष्ट अपराधों को कम करने तथा रोकने के उद्देश्य में सहायक होगा।

किरण चौधरी,
आबकारी व कराधान मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
7 मार्च, 2011

सुमित कुमार,
सचिव।

48398—H.V.S.—H.G.P., Chd.